न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/41

ओमप्रकाश पुत्र उमाशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. दीपक कुमार पुत्र किशनलाल
2. राजकुमार पुत्र किशनलाल
3. ज्योति उर्फ हेमलता पुत्री किशनलाल
4. सेमलता पुत्री किशनलाल
5. जनकी देवी बेवा किशनलाल समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम श्यामपुरा हाल निवासीगण गोरधनपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. लाडपुरा उर्फ लाडबाई पुत्री बालूराम बेवा शिवनारायण जाति माली निवासी कैथूनीपोल कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. सयानी बाई पुत्री बालूराम पत्नी मोतीलाल जाति माली निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. सुशीला बाई पुत्री बालूराम पत्नी जुगल किशोर जाति माली निवासी हाल फूलनगर सोसायटी पूणे (महाराष्ट्र) ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकुट बिहारी पारेता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 की ओर से ।
3. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद में आराजी खसरा नम्बर 192 की 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 की 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 की 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 385 की 1.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 की 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 524 की 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 541 की 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 542 की 0.03

हैक्टर, खसरा नम्बर 543 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 652 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 656 की 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 665 की 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 669 की 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 671 की 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 863 की 2.12 हैक्टर कुल किता 16 की 7.90 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त आराजी प्रार्थीगण क्रम 1 से 4 के पिता एवं प्रार्थिनी क्रम 5 के पति एवं अप्रार्थीगण क्रम 2 से 4 के भाई किशन के सम्मिलित खाते एवं कब्जे की भूमि है । वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार किशनलाल के फौत हो जाने तथा प्रार्थीगण ही मृतक किशनलाल के वारिसान व उत्तराधिकारीगण होने से उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित कराने के अधिकारी हैं । खसरा नम्बर 652 की 0.10 हैक्टर आराजी से लगवा दक्षिणी तरफ अप्रार्थी क्रम 1 ओमप्रकाश का मकान स्थित है जिसका दरवाजा पश्चिम दिशा में स्थित है किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 के मकान से लगवा उत्तरी तरफ एवं पूर्वी तरफ उक्त आराजी स्थित होने से तथा मन में बदनियिति आ जाने से अप्रार्थी क्रम 1 उक्त सम्पूर्ण आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 652 की 0.10 हैक्टर आराजी के किसी हिस्से पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त आराजी अथवा आराजी के किसी हिस्से पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने का प्रयास नहीं करे । प्रार्थीगण को जबरन उक्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने दे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में उठाई गई किसी भी आपत्ति पर कोई ध्यान न देकर केवल ग्राम श्यामपुरा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 773 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 652 व 653 की सीमा विवाद मात्र होते हुए भी उक्त सीमा विवाद को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत निर्णित होने हेतु प्रेषित न कर विवादित भूमि की मौके की पैमाईश रिपोर्ट वादीगण से प्रस्तुत कराए बिना ही अपीलान्ट द्वारा आबादी भूमि में निर्मित पैतृक मकान का रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 652 से कोई सम्बन्ध न होते हुए भी केवल मात्र काल्पनिक विवाद के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की बहस सुने बिना ही निर्णय दे दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.01.2016 को उनके अभिभाषक श्री रामप्रसाद नागर जी द्वारा बताये जाने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में

पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 6 से 8 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वादपत्र प्रस्तुत कर उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसमें यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 652 रकबा 0.10 हैक्टर आराजी उनके खाते की है जिस पर अप्रार्थी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.01.2015 को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया । अपीलान्ट के द्वारा जवाब एवं आपत्ति पेश की गई । उसके बाद 30 दिनों के अन्दर निर्णय पारित नहीं किया, स्थगन की अवधि बढाते रहे । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में स्थगन आदेश को कन्फर्म करना अंकित किया है किन्तु विस्तृत आदेश में मदाखलत व मजाहमत नहीं करने के आदेश पारित किये हैं । अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए थे किसी अन्य अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज कर दी गई है । अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में उठाई गई किसी भी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया है । ग्राम श्यामपुरा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 773 कृषि भूमि खसरा नम्बर 652 और 653 के मध्य सीमा विवाद है । इस सीमा विवाद को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत निर्णय हेतु प्रेषित किया जाना चाहिए था । विवादित भूमि की मौके की पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है । अपीलान्ट का आबादी भूमि में पैतृक मकान है जिसमें रेस्पोडेन्ट का कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । खसरा नम्बर 653 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया गया है । आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते एवं कब्जे की है जिस पर अपीलान्ट को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 के अनुसार वादग्रस्त आराजी किशनलाल पुत्र बालूराम, लाडबाई, सयानी बाई, सुशीला बाई पुत्रियॉ बालूराम सहखातेदार दर्ज हैं । नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 773 ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है ।

12. प्रार्थीगण ने अपने स्वयं की खाते की आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है । अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि खसरा नम्बर 773 जो कि आबादी की है जिसमें उनका निवास स्थान है । प्रार्थी के खाते की आराजी और उनके खसरा नम्बर के बीच में खसरा नम्बर 653 है जिसके खातेदार को अपीलान्ट ने पक्षकार नहीं बनाया है । इस क्रम में हमारा मत यह है कि अपीलान्ट जिस खाते के खातेदार हैं उसके बाबत् उन्होंने अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है और उनके खाते में दर्ज आराजी के बाबत् ही उनको अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की गई है न कि अपीलान्ट को प्रदत्त पट्टा अथवा ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज आराजी में । जहॉ तक समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाने का प्रश्न है रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है । रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । अपीलान्ट को उनके खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तय पायी जाती है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा